इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 11 जनवरी 2011—पौष 21, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी, 2011

क्र. 239-11-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 10 जनवरी, 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 5 सन् 2011

मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, २०१०

[दिनांक 10 जनवरी, 2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 11 जनवरी, 2011 को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, १९८४ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन अधिनियम, २०१० है. **संक्षिप्त नाम.**

२. मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, १९८४ (क्रमांक १३ सन् १९८४) की धारा २ में, खण्ड (च) में, शब्द तथा कोष्ठक "चक्राकार आरा (कटर), जिसका व्यास (डायमीटर्स), बारह इंच से अधिक न हो," का लोप किया जाए. **धारा २ का संशोधन.**

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी, 2011

क्र. 240-11-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 5 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No.5 of 2011.

THE MADHYA PRADESH KASHTHA CHIRAN (VINIYAMAN) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2010.

[Received the assent of the Governer on the 10th January, 2011; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 11th January, 2010]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Kashtha Chiran (Viniyaman) Adhiniyam, 1984.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Kashtha Chiran (Viniyaman) Sanshodhan Adhiniyam, 2010. **Short title.**

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Kashtha Chiran (Viniyaman) Adhiniyam, 1984 (No. 13 of 1984), in clause (f), the words and bracket " circular saw (cutter) the diameters of which is not more than twelve inches" shall be omitted. **Amendment of Section 2.**

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.